न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 493–तीन/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 30.11.2013 पारित – व्दारा – अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर – प्र0क0 10 अ–21/13–14

बंशी, कटुआ उर्फ नंदकिशोर,
रामकिसुन पुत्रगण कामता अहिरवार
निवासी ग्राम खौप, तहसील एवं
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश —आवेदकगण

विरूध्द

1- मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

आवेदकगण के अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा
म0प्र0शासन के पैनल अभिभाषक श्री बी0एन0त्यागी

आदेश
(आज दिनांक 21.7. 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 10 अ–21/13–14 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2013 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कि आवेदकगण ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7) (ख) के अंतर्गत आवेदन दिनांक 10.10.2013 प्रस्तुत कर अपर कलेक्टर जिला छतरपुर से मांग की कि उनके नाम ग्राम खौप स्थित भूमि सर्वे कमांक 94/1 रकबा 1.000 हैक्टर भूमिस्वामी स्वत्व पर है । उन्हें पुत्री की शादी करना है जिसके कारण भूमि विकय करना

वाह रहे हैं पुत्री की शादी के वाद जो राशि बचेगी उससे अन्य भूमि कय करेगा। भूमि पटटे पर प्राप्त है इसलिय विकय की अनुमति प्रदान की जावे। अपर कलेक्टर छतरपुर ने प्रकरण कमांक 10 अ 21/13–14 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 30–11–13 से विकय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर मनन करने एंव निगरानी की ग्राह्यता पर विचार करने पर पाया गया कि यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7) (ख) के अंतर्गत प्रकरण कमांक 10 अ 21/13 14 में आदेश दिनांक 30.11.2013 के विरूद्व यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है जबकि अपर कलेक्टर न्यायालय संहिता की धारा 165 (7) (ख) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर विचार हेतु मूल न्यायालय है। म. प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 में प्रावधान है कि संहिता की धारा 165 (7) (ख) के अंतर्गत कलेक्टर/ अपर कलेक्टर व्दारा पारित आदेश मूल न्यायालय का आदेश है जिसके विरूद्व प्रथम अपील आयुक्त को एंव व्दितीय अपील राजस्व मण्डल में होगी, जिसके कारण निगरानी अग्राह्य है। जहां तक आवेदक को न्यायादान का प्रश्न है ? प्रथम अपीलीय न्यायालय में आवेदक अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण कमांक 10 अ–21/13–14 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2013 में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है। अतएव निगरानी अग्राह्य होने से अमान्य की जाती है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर